9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संo सं0–2 / आरo–238 / 2026– / स्वा0, पटना, दिनांक / /2026

डा0 उतम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, पालीगंज, पटना के दिनांक–15.09.2020 से 05.08.2023 तक अध्ययन अवधि को विभागीय पत्रांक–2045(2) दिनांक–30.11.2011 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित किया जा सकता है।

2 प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2 / आरo–238 / 2026– 2434(2) पटना, दिनांक 6/10/2026

प्रतिलिपि :महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, पालीगंज, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा0 उतम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, पालीगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Manak Sinha
सरकार के उप सचिव।
1